# झारखण्ड सरकार
## पंचायती राज विभाग,
## एफ़. एफ. पी. भवन, धुर्वा, राँची

**अधिसूचना**

संख्या - 01स्था0(वि0)—166 / 2013 (खण्ड—1)........40........ /पं0, दिनांक– 02.1.26

**पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 एवं झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 131 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल, पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) झारखण्ड नियमावली 2025 बनाते हैं।**

### अध्याय 1
### प्रारम्भिक

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) झारखण्ड नियमावली, 2025 {THE PROVISIONS OF THE PANCHAYATS (EXTENSION TO THE SCHEDULED AREAS) Jharkhand Rule - 2025}

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-**

(क) यह नियमावली "पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) झारखण्ड नियमावली, 2025" {THE PROVISIONS OF THE PANCHAYATS (EXTENSION TO THE SCHEDULED AREAS) Jharkhand Rules - 2025} कही जाएगी।

(ख) यह सरकार द्वारा अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(ग) इसका विस्तार झारखण्ड राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में होगा।

2. परिभाषाएँ: इस नियमावली में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996

(ख) **"बैठक"** से अभिप्रेत है पारम्परिक ग्राम सभा की बैठक।

(ग) **"सचिव"** से अभिप्रेत है, ग्राम पंचायत का पंचायत सचिव।

(घ) **"सहायक सचिव" से अभिप्रेत है, ग्राम सभा द्वारा चुने गए पंचायत सहायक अथवा अन्य सदस्य।**

(ङ) **''ग्राम सभा अध्यक्ष''** से अभिप्रेत है, अनुसूचित क्षेत्र के पारम्परिक ग्राम सभा क्षेत्र में परम्परा से प्रचलित रीति-रिवाज़ के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति
यथा संथाल समुदाय- मांझी/ परगना,
हो समुदाय- मुंडा/मानकी/दिउरी
खड़िया समुदाय- डोकलो सोहोर,
मुंडा समुदाय- हातू मुंडा/ पड़हा राजा/पहान,
उरांव समुदाय - महतो/पड़हा बेल (राजा)/पहान
भूमिज - मुड़ा / सरदार / नाया / डाकुआ
या इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित किसी अन्य नाम से अध्यक्ष के रूप में जाना जाता हो ।

(च) **"अनुसूचित क्षेत्र"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 खंड (1) एवं झारखण्ड गजट 2007 के अनुसार घोषित पाँचवीं अनुसूची क्षेत्र।

(छ) **"ग्राम सभा"** से अभिप्रेत है, झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम- 2001 की धारा 3 में परिभाषित अनुसूचित क्षेत्रों की पारम्परिक ग्राम सभा।

(ज) **"ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी समिति"** से अभिप्रेत है, ग्राम पंचायत स्तर पर निर्वाचित मुखिया एवं वार्ड सदस्य।

(झ) **"सामुदायिक संसाधन"** से अभिप्रेत है, ग्राम की प्रथागत सीमा के भीतर स्थित सामुदायिक उपयोग के भवन एवं सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल जैसे सरना, मसना, जाहेरथान और इसी प्रकार के अन्य स्थल। ग्राम सभाओं के संयुक्त बैठक में निर्णय के माध्यम से तय पारम्परिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सामुदायिक संसाधन।

(ञ) **"लघु वन उपज"** के अंतर्गत पादक मूल के सभी गैर-इमारती वनोत्पाद हैं, जिसमें, बाँस, झाड़-झंकाड़, ठूंठ, बेंत, तुसार, कोया, शहद, मोम, लाह, चार, महुआ, हर्रा, बहेरा, करंज, सरई, आंवला, रूगड़ा, तेंदू या केन्दू पत्ते, औषधीय पौधों और जड़ी- बुटीयाँ, कन्द, मूल और इसी प्रकार के उत्पाद सम्मिलित है;

(ट) **"लघु जल निकायों"** से अभिप्रेत है, गाँव की सीमा में आने वाले ऐसे जल निकाय यथा- चुआँ, डांड़ी, झरना, आहर, पाईन, तालाब, बांध, बराज एवं नहर, नदी, नाला या अन्य किसी नाम से जानी जाने वाली संरचनाएँ, जिनको परम्परागत रूप से ग्रामीण अपने दैनिक जरूरतों के लिए उपयोग करते हों और पेयजल, कृषि के सहयोगी सामूहिक उद्यम तथा कुटीर-लघु उद्योगों एवं अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता हो;

(ठ) **"लघु खनिज"** से अभिप्रेत है, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3 के खण्ड (ई) में परिभाषित लघु खनिज;

(ड) **"मादक द्रव्य"** से अभिप्रेत है, झारखण्ड एक्साइज एक्ट 1915 की धारा-14 के अनुसार परिभाषित "देशी शराब" या "विदेशी शराब" की श्रेणी में आने वाले मादक पदार्थ;

(ढ) **"उधार"** से अभिप्रेत है, झारखण्ड निजी साहूकारी (निषेध) अधिनियम 2016 की धारा- 2 (ग) में परिभाषित उधार;

(ण) **"समुचित स्तर की पंचायत"** से अभिप्रेत है, त्रिस्तरीय पंचायत का वह स्तर जो किसी विशिष्ट कृत्य के अनुपालन के लिए अधिकृत किये गए हों;

(त) **"प्राकृतिक संसाधन"** से अभिप्रेत है, वैसे सभी संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त एवं निर्मित हो;

(थ) **"ग्राम"** से अभिप्रेत है आवास या आवासों का समूह अथवा पुरवा या पुरवों का समूह से मिलकर बना समुदाय जो परम्पराओं तथा रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करते हों;

## अध्याय 2
## पारम्परिक ग्राम, ग्राम सभा एवं उनकी सीमाओं का प्रकाशन

**3.** पारम्परिक ग्राम, ग्राम सभाओं तथा उनकी सीमाओं की मान्यता और प्रकाशन की जिम्मेदारी उपायुक्त की होगी। उपायुक्त प्रखण्ड स्तर पर एक टीम का गठन करेंगे।

**4.** सामान्यतः प्रत्येक पारम्परिक ग्राम सभा, राजस्व ग्राम के समान होगी। परन्तु पारम्परिक ग्राम के अंतर्गत ग्राम, ग्राम सभा एवं ग्राम की सीमाएँ भिन्न हो सकती हैं। अतः, उपायुक्त द्वारा गठित टीम पारम्परिक ग्राम सभा के प्रधान और सदस्यों के साथ मिलकर पारम्परिक ग्राम सभा की सीमाओं की पहचान करेगी और उनका अभिलेखन करेगी। यह टीम पारम्परिक ग्राम सभा क्षेत्रों की सीमाओं के अधिसूचना हेतु प्रस्ताव तैयार करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

i. मौजूदा ग्राम सभा की संबंधित जानकारी, जिसमें ग्राम सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली टोला स्तरीय ग्राम सभाओं का विवरण शामिल होगा। इसके साथ-साथ टीम टोला स्तरीय ग्राम सभाओं के प्रधानों के नाम और संपर्क विवरण, पारम्परिक क्षेत्राधिकार, ग्राम प्रधान का विवरण एवं अन्य संबंधित जानकारी को निर्धारित प्रारूप **प्रपत्र-1** में संकलित करेगी।

ii. उपर्युक्त सभी जानकारी को टोला स्तरीय ग्राम सभाओं और पारम्परिक ग्राम सभा द्वारा एक लिखित प्रस्ताव (रिज़ॉल्यूशन) के माध्यम से सत्यापित और हस्ताक्षरित किया जाएगा।

iii. इसके पश्चात, टीम अपने प्रस्तावों को पारम्परिक ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव, प्रपत्र-1 की एक प्रति के साथ, जिलाधिकारी/उपायुक्त को प्रस्तुत करेगी।

**5.** उपरोक्त 4(**iii**) के तहत प्राप्त जानकारी को उपायुक्त द्वारा एक माह के लिए सार्वजनिक किया जाएगा एवं आपत्तियाँ आमंत्रित की जायेंगी। प्राप्त आपत्तियों के निराकरण उपरांत अनुमोदित सूचियों का प्रकाशन नियम की अधिसूचना **(प्रपत्र-2 के अनुसार)** की तिथि से 3 माह के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जाएगा। प्रत्येक गाँव की एक ग्राम सभा होगी एवं ग्राम सभा निर्वाचक नामावली में निबंधित व्यक्तियों से गठित निकाय होगी।

**6.** पारम्परिक ग्राम सभा से उच्चतर स्तर (बहुस्तरीय) की सभा

i. ग्राम सभा से उच्चतर स्तर (बहुस्तरीय) की सभा केवल पारम्परिक ग्राम सभा के निर्णय के अपीलीय (Appellate) संस्था होगी, यह विवादों के पारम्परिक निपटारा के लिए है।



g. Anuh

## अध्याय 3
## पारम्परिक ग्राम सभा की बैठक

**7.** ग्राम सभा की बैठक :--

i. ग्राम सभा की बैठक माह में कम से कम एक बार होगी :

परन्तु ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/10 सदस्यों अथवा 50 सदस्यों, जो भी कम हो, के लिखित अपेक्षा किए जाने पर या ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद् या जिला दण्डाधिकारी / उपायुक्त द्वारा अपेक्षित किये जाने पर ग्राम सभा की बैठक ऐसी अपेक्षा के सात दिनों के भीतर बुलाई जा सकेगी ।

ii. ग्राम सभा के कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई सदस्यों की संख्या कोरम के लिए अनिवार्य है, किन्तु इन एक तिहाई सदस्यों की संख्या में भी एक तिहाई महिला सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। यदि 1/3 (एक तिहाई) के गणित में एक का अंश सदस्य संख्या आता है तो उसे पूरा सदस्य गणना में लिया जायेगा । उदाहरणस्वरुप यदि बैठक में सदस्यों की कुल संख्या 91 है तो एक तिहाई सदस्य से कम नहीं की पूर्ति करने के लिए 30.3 अर्थात पूर्ण संख्या 30 सदस्य एक तिहाई से कम होंगे, इसलिए 31 सदस्यों की उपस्थिति कोरम के लिए आवश्यक है तथा इन 31 सदस्यों में से एक तिहाई महिला सदस्य अर्थात् 11 महिला सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

iii. ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता उस ग्राम सभा के अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सदस्य द्वारा की जायेगी, जो उस ग्राम सभा क्षेत्र में परम्परा से प्रचलित रीति-रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति हो जो ग्राम प्रधान जैसे मांझी, मुण्डा, पाइन, महतो या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो या उनके द्वारा मनोनीत / समर्थित व्यक्ति हो, परन्तु संबंधित ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का सदस्य (वार्ड सदस्य), उपमुखिया या मुखिया नहीं हों ।

जिस ग्राम सभा क्षेत्र में परम्परा से प्रचलित रीति-रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति, जो ग्राम प्रधान यथा मांझी, मुण्डा, पाहन, महतो या अन्य नाम से जाना जाता हो ऐसे सदस्य नहीं है, उस परिस्थिति में उक्त क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा अध्यक्षता की जाएगी, परन्तु उक्त क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के सदस्य न हों तो बैठक में उपस्थित सदस्यों की बहुमत से मनोनीत / समर्थित व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

iv. यदि बैठक हेतु निर्धारित किए गये समय पर कोरम के लिए आवश्यक संख्या में सदस्य उपस्थित नहीं हैं, तो बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति बैठक को ऐसी आगामी तिथि एवं समय के लिए स्थगित कर देगा, ऐसे स्थगित बैठक के लिए कोरम आवश्यक नहीं होगी, परन्तु ऐसी बैठक में किसी नये विषय पर विचार नहीं किया जायेगा ।

v. ग्राम सभा की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति जो या तो परम्परागत ग्राम प्रधान हो या उसके द्वारा प्रस्तावित स्थायी अध्यक्ष हो, को संबंधित पंचायत समिति के सचिव द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी / कर्मचारी, ग्राम सभा की प्रथम बैठक के पूर्व शपथ ग्रहण / प्रतिज्ञा करायेगा। शपथग्रहण / प्रतिज्ञा संलग्न प्रपत्र 6 में कराया जायेगा। शपथग्रहण / प्रतिज्ञा करने वाले ग्राम सभा के अध्यक्षों की सूची संबंधित प्रखण्ड विकास कार्यालय में संधारित की जायेगी, जिसकी एक प्रति ग्राम पंचायत कार्यालय में भी रखा जायेगा ।

vi. शपथग्रहण / प्रतिज्ञा करने वाले ग्राम सभा के अध्यक्षों की सूची संबंधित प्रखण्ड विकास कार्यालय द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर और ग्राम सभा क्षेत्र के सहज दृश्य स्थान पर चिपकवाकर तथा ढोल पीट कर प्रकाशित की जायेगी ।

**8.** ग्राम सभा की बैठकों का स्थान -

i. ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक और कार्यवाही सार्वजनिक रुप से आयोजित की जायेगी ।

ii. यदि कोई बैठक किसी बन्द भवन में की जानी है, तो दरवाजा बन्द नहीं किया जायेगा एवं किसी को प्रवेश करने से रोका नहीं जायेगा ।

**9.** बैठक की तारीख एवं समय–

i. (क) ग्राम सभा की सामान्य बैठकों की तारीख, समय तथा स्थान पारम्परिक रूप से ग्राम सभा की अध्यक्षता कर रहे ग्राम प्रधान द्वारा नियत किया जायेगा, पारम्परिक रूप से ग्राम सभा की अध्यक्षता कर रहे ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति में पारम्परिक रूप से ग्राम सभा की अध्यक्षता कर रहे ग्राम प्रधान द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा नियत किया जायेगा।

(ख) ग्राम सभा की विशेष बैठकों की तारीख, समय तथा स्थान मुखिया / पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी / जिला परिषद् के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी / उपायुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा नियत किया जायेगा । विहित रीति से नियत बैठक की तारीख, समय तथा स्थान की सूचना संबंधित ग्राम सभा के अध्यक्ष को बैठक से 7 दिन पूर्व देना होगा।

ii. ग्राम पंचायत का मुखिया इस नियम के अधीन विशेष बैठक बुलवाये जाने के लिए जिम्मेवार होंगे ।

**10.** बैठक की सूचना देने की रीति -

i. ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की सूचना जिसमें तारीख, समय तथा स्थान और व्यवहार किए जाने वाले कारवाई को विनिर्दिष्ट करते हुए बैठक की तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र-3 में दी जाएगी, परन्तु आपातकालीन स्थिति में ग्राम सभा की बैठक पूरे तीन दिन की पूर्व सूचना देकर भी बुलायी जा सकेगी।

ii. सामान्य बैठक की ऐसी सूचना संबंधित ग्राम सभा के प्रत्येक ग्रामों में सहज दृश्य / सार्वजनिक स्थानों पर इसकी एक प्रति को चिपकाया जायेगा और ग्राम सभा क्षेत्र में डुगडुगी या ढोल पिटवाकर घोषणा करते हुए प्रकाशित की जायेगी।

iii. विशेष बैठक की ऐसी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत / पंचायत समिति के सूचना पट्ट में प्रकाशित कर संबंधित ग्राम सभा के प्रत्येक ग्रामों में सहजदृश्य / सार्वजनिक स्थानों पर इसकी एक प्रति को चिपकाया जायेगा और ग्राम सभा क्षेत्र में डुगडुगी या ढोल पिटवाकर घोषणा करते हुए प्रकाशित की जायेगी।

**11.** ग्राम सभा का निरीक्षण -

ग्राम सभा के सदस्यों को ग्राम सभा के समक्ष रखे जाने वाले अभिलेखों का कार्यावधि के दौरान निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

## अध्याय 4

## ग्राम सभा अध्यक्ष एवं सहायक सचिव के कर्तव्य

**12.** ग्राम सभा के अध्यक्ष का चयन / परिवर्तन -

i. ग्राम सभा अध्यक्ष पर आसीन व्यक्ति जो परम्परा से प्रचलित रीति-रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त यथा मांझी, मुण्डा, पाहन, महतो या अन्य नाम से जाना जाता है, की मृत्यु / पद त्याग या किसी अन्य कारण से पद खाली होने पर परम्परा से प्रचलित रीति-रिवाज के अनुसार नये ग्राम सभा अध्यक्ष का चुनाव / मनोनयन पद रिक्त होने के एक महीना के अन्दर किया जायेगा।

ii. नये अध्यक्ष के चयन / मनोनयन के 10 दिनों के अन्दर इसकी सूचना प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–सचिव पंचायत समिति / उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला दण्डाधिकारी / उपायुक्त को लिखित रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

**13.** ग्राम सभा का सहायक सचिव -

i. ग्राम सभा अपने सदस्यों में एक सहायक-सचिव का चुनाव कर सकेगी अथवा ग्राम सभा पूर्व में चयनित पंचायत सहायक का सहयोग सहायक सचिव के रूप में ले सकेगी । ग्राम सभा अपने आवश्यकता अनुसार सहायक सचिव के कार्यों का निर्धारण कर सकेगी। ऐसे सहायक सचिव अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे / करेगी।

ii. ग्राम सभा के सहायक-सचिव एक वर्ष के लिए नियुक्त किया जा सकेगा, परन्तु वह पुन: नियुक्ति के पात्र होंगे। ग्राम सभा द्वारा सहायक सचिव को चुनते समय महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

iii. ग्राम सभा के बहुमत से सहायक – सचिव को कभी भी हटाया / बदला जा सकता है।

**14.** बैठक के अध्यक्ष के कर्तव्य एवं शक्तियाँ -

i. यदि संबंधित ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सभा की बैठक के अध्यक्ष के आदेशों का जो झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2001 के अधीन दायित्वों के निर्वहन या क्रियान्वयन करने के क्रम में पंचायत सचिव के कृत्यों में आते

हैं, उन्हें वह पालन नहीं करता है तो अध्यक्ष संबंधित पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी से उसपर नियंत्रण करने की अपेक्षा कर सकती है।

ii. यदि राज्य सरकार अपने विवेक पर पंचायत के कार्यकलापों की जाँच करती है, तब जाँचकर्ता प्राधिकारी के समक्ष लिखित में अध्यक्ष समस्याओं का समाधान चाहने हेतु निवेदन कर सकता है और बता सकता है कि उसे अपने कर्तव्यों के पालन में अमूक बाधाएँ हैं, जिनसे झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2001 के उद्धेश्यों के अनुकूल कार्य होने में समस्या आ रही है।

iii. झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2001 के अधीन राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी ऐसे संबंधित सारे कार्य के निष्पादन किये जाने का निर्देश दे सकेगा, जिसे पंचायत द्वारा नहीं किया जा रहा है तथा जिसका किया जाना लोकहित में आवश्यक है। झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2001 के अधीन पंचायतों के कार्य का निरीक्षण होने के समय लिखित में अध्यक्ष निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी को ग्राम सभा संबंधी कठिनाईयाँ प्रस्तुत कर सकता है।

iv. बैठक में यदि कोई सदस्य अभद्रता से पेश आता है, आपत्तिजनक या संतापकारी शब्दों का प्रयोग करता है और उन्हें वापस लेने या क्षमा माँगने से इंकार करता है या बैठक के शांतिपूर्ण तथा व्यवस्थित संचालन में जान बूझकर गड़बड़ी पैदा करता है, या अध्यक्ष के किसी आदेश का पालन करने से इंकार करता है या अध्यक्ष द्वारा स्थान ग्रहण के लिए आदेशित किये जाने पर भी अपना स्थान ग्रहण नहीं करता है तो वह सदस्य व्यवस्था भंग करने का दोषी होगा तथा अध्यक्ष द्वारा ऐसे किसी भी सदस्य को बैठक से तुरन्त निकल जाने का निर्देश दे सकेगा और इस प्रकार निकल जाने के लिए आदेशित किया गया कोई सदस्य तुरन्त ऐसा करेगा और उस दिन की बैठक की शेष अवधि के दौरान अनुपस्थित रहेगा।

v. अध्यक्ष बैठक में गंभीर अव्यवस्था उत्पन्न होने की दशा में उसके द्वारा विनिश्चित तथा घोषित किए जाने वाले समय तक के लिए किसी बैठक को स्थगित कर सकेगा।

## अध्याय 5
## ग्राम सभा बैठक का संचालन एवं निर्णय की प्रक्रिया

**15.** ग्राम सभा की बैठक का संचालन :-

i. ग्राम सभा की बैठक का संचालन उसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जायेगा, जो अध्यक्ष के नाम से संबोधित किया जायेगा।

ii. अध्यक्ष द्वारा ग्राम सभा की राय से ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ लिये जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की प्रक्रिया विनिश्चित किया जायेगा।

iii. बैठक में लिए गये निर्णयों की संक्षिप्त जानकारी पढ़कर सुनाया जायेगा। संबंधित ग्राम सभा के सहायक सचिव द्वारा उसी के अनुसार विनिश्चयों को कार्यवाही पंजी में अभिलिखित किया जाएगा ।

iv. ग्राम पंचायत का कार्यालय ही ग्राम सभा का कार्यालय होगा। यदि किसी पंचायत में एक से अधिक ग्राम सभा हो, तो प्रत्येक ग्राम सभा का अपने गाँव में अपना कार्यालय होगा, जैसे कि सार्वजनिक भवन, धुमकुड़ियाँ, खाली स्कूल या कोई भी स्थान जहाँ जनता की पहुँच आसान हो, और ऐसा कोई स्थान न होने की स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति का घर, बशर्ते कि ऐसे कार्यालय के लिए किसी भी रूप में कोई किराया नहीं दिया जाएगा ।

v. ग्राम सभा के निर्णय के अलोक में ग्राम पंचायत यथासंभव कार्य करेगी।

vi. ग्राम सभा के सरकारी योजनाओं एवं चयनित लाभुकों की योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी समिति की होगी ।

**16.** सर्वसम्मति द्वारा विनिश्चय -

i. ग्राम सभा की बैठक में लाए गये समस्त विषय सर्वसम्मति द्वारा विनिश्चत किए जाऐंगे और सर्वसम्मति द्वारा विनिश्चत नहीं होने की दशा में उपस्थित सदस्यों की बहुमत से मतदान हाथ उठाकर किया जायेगा। मतों की समानता की दशा में बैठक के अध्यक्ष को द्वितीयक या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

ii. यदि ऐसा कोई विवाद उत्पन्न होता है जिससे कोई व्यक्ति मतदान का हकदार है या नहीं, तो ग्राम सभा क्षेत्र के मतदाताओं की सूची में प्रविष्टि को ध्यान में रखते हुए अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा उसका विनिश्चय किया जाएगा और इस प्रकार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा।

**17.** उपस्थिति पंजी :- ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों के नाम प्रपत्र 4 में रखे गये उपस्थिति पंजी में दर्ज किये जायेंगे।

**18.** पारम्परिक ग्राम सभा के अभिलेख का संधारण एवं रख रखाव -

i. पारम्परिक ग्राम सभा के प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के अभिलेख, विनिश्चय तथा उसमें उपस्थित सदस्यों की संख्या कार्यवाही पंजी में ग्राम पंचायत के सचिव / ग्राम सभा के सहायक सचिव द्वारा इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र - 5 में प्रविष्ट किया जायेगा और उसी बैठक में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा उसकी पुष्टि की जायेगी।

ii. बैठक की कार्यवाही हिन्दी के देवनागरी लिपि अथवा स्थानीय भाषा में लिखी जायेगी।

iii. ग्राम सभा की विशेष बैठकों की कार्यवाही की प्रति सचिव द्वारा ग्राम पंचायत को प्रस्तुत की जायेगी।

iv. पारम्परिक ग्राम सभा में संधारित सभी अभिलेख यथा कार्यवाही पंजी, खाता बही आदि ग्राम सभा में रखी जाएगी एवं आवश्यकता अनुसार ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जायेगा।

**19.** ग्राम सभा की संयुक्त बैठक:

i. ऐसे विषय जिसका संबंध एक से अधिक ग्राम सभा से हो, इस हेतु संयुक्त ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जा सकती है।

ii. संयुक्त बैठक में किया गया विनिश्चय प्रत्येक ग्राम सभा द्वारा किया गया विनिश्चय माना जाएगा।

iii. संयुक्त बैठक के अध्यक्ष ऐसे भाग लेने वाली ग्राम सभाओं के अध्यक्षों में से चुना जायेगा।

संयुक्त बैठक में प्रत्येक ग्राम सभा से न्यूनतम 33 प्रतिशत व्यक्ति अथवा 30 सदस्य, जो भी अधिक हो, की उपस्थिति अनिवार्य होगा। जिनमें न्यूनतम 33 प्रतिशत महिला सदस्य होंगे।

**20.** ग्राम सभा, अधिनियम/नियम द्वारा कृत्यों के निर्वहन हेतु अधिनियम में वर्णित स्थायी समितियों का गठन कर सकेगी।

## अध्याय 6
## ग्राम सभा कोष

**21.** ग्राम सभा का कोष :

(क) प्रत्येक ग्राम सभा एक निधि स्थापित कर सकेगी जो निम्नलिखित चार भागों से मिलकर ग्राम कोष कहलाएगा
(i) अन्न कोष, (ii) श्रम कोष, (iii) वस्तु कोष, (iv) नगद कोष

नगद कोष जिसमें निम्नलिखित जमा होंगे- (i) दान, (ii) प्रोत्साहन राशि, (iii) दण्ड राशि, शुल्क राशि, लघु वन उपज से प्राप्त रायल्टी, तालाब लीज से प्राप्त राजस्व, बाजार प्रबंधन शुल्क, बालू घाट से प्राप्त शुल्क एवं अन्य आय से प्राप्त राशि को ग्राम सभा कोष में जमा की जाएगी।

(ख) ग्राम सभा अपने निर्णय के अनुसार कोष का उपयोग करेगी। इसका प्रबंधन इस प्रकार से किया जाएगा -

I. कोष का संचालन हेतु ग्राम सभा सर्वसम्मति से तीन सदस्यों का चुनाव करेगी। जिन्हें खाता संचालन हेतु अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी अधिकतम 3 वर्षों के लिए दी जाएगी। इन तीन सदस्यों में से कम से कम एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य होगा। एक सदस्य के पास कोष, दूसरा सदस्य खातों एवं तीसरा सदस्य लेन-देन का ध्यान रखेगा। यह खाता किसी राज्य सरकार द्वारा सरकारी राशि रखने/खाता खोलने हेतु अनुमति प्रदत्त बैंक में खुलवाए जायेंगे। कोई बैंक शाखा नहीं होने की स्थिति में विशेष परिस्थिति में यह खाता किसी पोस्ट ऑफिस में खुलवाए जायेंगे।

II. ग्राम सभा कोष का आहरण हेतु सम्बंधित ग्राम सभा के अनुमोदन से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक होगा।

(ग) खातों का प्रबंधन:

I. ग्राम सभा द्वारा मीटिंग पुस्तिका, नगद पुस्तिका, बैंक पुस्तिका एवं आय-व्यय पुस्तिका का संधारण किया जायेगा।

II. प्रत्येक माह इन पुस्तिकाओं को ग्राम सभा के बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

## अध्याय- 7
## सामुदायिक संसाधनों का प्रबंधन

**22.** सामुदायिक संसाधनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन :

**i.** ग्राम सभा अपने पारम्परिक सीमा के भीतर के सामुदायिक संसाधनों एवं प्राकृतिक संसाधनों का, अनुसूचित जनजाति परम्परा के रुढ़िजन्य विधि, सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं के अनुसार प्रबंध कर सकेगी।

**ii.** पारम्परिक ग्राम सभा या उसकी स्थायी समिति पारम्परिक क्षेत्र के सीमा के भीतर अवस्थित सामुदायिक संसाधनों का विवरणी अभिलेख पंजी में संधारित करेगी।

**iii.** ग्राम सभा पारम्परिक प्रथाओं के आधार पर सामुदायिक संसाधनों के प्रबंधन हेतु 5-5 वर्षों के लिए प्रबंधन योजना तैयार करेगी। ऐसी प्रबंधन योजना राज्य अथवा केंद्रीय कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के विपरीत न हो, और यदि यह वन भूमि एवं वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन संरक्षित क्षेत्र से संबंधित हो, तो कार्य योजना अथवा प्रबंधन योजना के अधीन होगी, जो राष्ट्रीय कार्यशील योजना संहिता, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980, वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972, अथवा अन्य किसी प्रचलित लागू विधि के अनुसार तैयार एवं सक्षम प्राधिकार द्वारा केंद्रीय तथा राज्य कानूनों के अनुरूप विधिवत अनुमोदित की गई हो।

**iv.** संबंधित सरकारी विभागों अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन वैज्ञानिक संस्थानों के प्रादेशिक विशेषज्ञ, ग्राम सभा के अनुरोध पर, सामुदायिक संसाधनों के सतत उपयोग एवं प्रबंधन हेतु प्रबंधन योजना के निर्माण में तकनीकी सहयोग प्रदान कर सकेगी। ग्राम सभा सामुदायिक संसाधनों का प्रबंधन एवं सतत् उपयोग हेतु निम्न शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी -

(क) सामुदायिक संसाधनों पर ग्राम सभा क्षेत्र के सभी ग्रामीणों को समान रूप से पहुँच हो।

(ख) ऐसी किसी क्रियाकलापों या विनाशकारी व्यवहारों को विनियमित करेगी, जो सामुदायिक संसाधनों, पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो।

(ग) सामुदायिक संसाधनों का नियंत्रण एवं प्रबंधन समुदाय के पारम्परिक पद्धति तथा प्रथाओं के अनुसार किया जाएगा। ऐसी पारम्परिक पद्धति तथा प्रथाएँ राज्य और केंद्रीय कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के विपरीत नहीं होगा।

## अध्याय- 8

## परम्पराओं का संरक्षण एवं विवादों का निपटारा

**23. परम्पराओं का दस्तावेजीकरण:**

i. ग्राम सभा अपने क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातीय समुदायों एवं अन्य समुदाय के रुढ़िजन्य विधि, सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं का संधारण करेगी एवं उनके संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

ii. राज्य सरकार द्वारा गाँव के अधिकार एवं दायित्व के सम्बन्ध में निर्गत नियम अनुसूचित जनजातिकी प्रथा, सामाजिक, धार्मिक और पारम्परिक प्रबंधन के अनुरूप होगा -

(क) यदि ग्राम सभा में यह राय हो कि कोई नियम जिसे अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित किया गया है, वह उनकी प्रथा, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और समुदाय के पारम्परिक प्रबंधन प्रथाओं या कोई भी विषय जो अनुसूचित क्षेत्रों के दायरे में आता है के अनुरूप नहीं है तो ग्राम सभा इससे सम्बन्धित प्रस्ताव पर बैठक में निर्णय लेगी।

(ख) इस प्रकार के पारित प्रस्ताव को ग्राम सभा उपायुक्त को अग्रसारित करेगी, जिसे उपायुक्त राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे।

(ग) राज्य सरकार ऐसे संकल्प प्राप्ति के 30 दिनों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाई हेतु एक उच्च स्तरीय समिति की गठन करेगी जो 90 दिनों के अन्दर अपनी सलाह राज्य सरकार को प्रेषित करेगी।

राज्य सरकार ऐसे संकल्प प्राप्ति के 160 दिनों के अन्दर लिए जा रहें निर्णय या लिए गए निर्णय को ग्राम सभा को सूचित करेगी।

iii. संविधान तथा सरकार एवं ग्राम सभा द्वारा प्रतिपादित नियमों को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभा को अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने का मौलिक दायित्व होगा। ग्राम सभा अपने समुदाय की परम्परा के अनुरूप ग्राम सभा क्षेत्र में निम्न कारवाईयों/कार्यों के लिए सक्षम होगी-

(क) भय रहित शांत माहौल कायम करना,

(ख) ग्राम सभा के नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं आत्मसम्मान की रक्षा करना,

(ग) महिलाओं, वृद्धों एवं बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, सार्वजनिक स्थानों पर झगड़े इत्यादि सहित असामाजिक तत्वों के द्वारा किये जाने वाले दुराचार पर रोक लगाना,

(घ) विवादों का समाधान पारम्परिक रीति रिवाजों एवं प्रथागत कानून के अनुसार किया जाना,

iv. ग्राम में शांति व्यवस्था बनाये रखना ग्राम सभा का उत्तरदायित्व होगा। ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि सुनवाई हेतु स्थायी समिति का गठन किया जाए जिसमें समिति के अंतर्गत शिक्षित, प्रतिष्ठित एवं प्रभावशाली व्यक्तियों को सदस्य बनाया जाए एवं ऐसे व्यक्तियों का कोई अपराधिक इतिहास न हो। परन्तु, प्रभावशाली व्यक्ति के संबंध में यह सुनिश्चित करना होगा कि वो समिति के सदस्यों पर दबाव न बना सके। यदि समिति के सदस्यों पर अपराध का आरोप या पीड़ित के रूप में आवेदन किया हो तो, ऐसे सदस्य समिति के सदस्य के रूप में सुनवाई प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। पारम्परिक रीति-रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति जो मांझी, मुण्डा-मानकी, पड़हा राजा, परगनैत, पाहन, महतो या किसी भी अन्य नाम से जाने जाते हों, उनका स्थायी समिति द्वारा सुनवाई में सहयोग लिया जाना अनिवार्य होगा। यह समिति निम्न कार्यों को ग्राम सभा के निर्देश में कर सकेगी:-

(क) संविधान के सिंद्धातों का पालन करते हुए निर्णय लेना।

(ख) पड़ोस के गाँव के साथ बेहतर एवं सौहार्द पूर्ण संबंध सुनिश्चित करना एवं पड़ोसी गाँव से विवादित मुद्दों पर परस्पर बातचीत करना।

(ग) ग्राम की शांति भंग करने वाली घटनाओं, को संज्ञान में लेना, उनकी जाँच कर अग्रेतर कारवाई करना।

(घ) शांति भंग करने वालों को समझाना, यदि आवश्यक हो तो अविलंब इसका प्रतिवेदन ग्राम सभा को सौंपना।

(ङ) यदि विवादों का निपटारा पारम्परिक ग्राम सभा या पारम्परिक व्यवस्था के उच्चतम स्तर पर नहीं हो पाता है तो ग्राम सभा प्रतिवेदन तैयार कर उपर्युक्त कार्रवाई के लिए न्यायलय से अनुरोध करेगी।

(च) ग्राम सभा द्वारा जानमाल की सुरक्षा करना एवं शांति व्यवस्था कायम करना।

(छ) अंधविश्वास एवं जादू टोना से संबन्धित मुद्दों पर ग्राम सभा खुली बैठक में विचार विमर्श करेगी एवं रोक का प्रयास करेगी।

(ज) ग्राम सभा अंधविश्वास, जादू टोना, डायन बिसाही, ओझा आदि के संभावित घटनाओं को रोकने के लिए तथा इन कुरीतियों को समाप्त करने हेतु यथा संभव अभियान चलाएगी।

**v. पारम्परिक ग्राम सभा में विवादों की सुनवाई-**

(क) पारम्परिक ग्राम सभा के समक्ष शिकायत ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा लिखित एवं मौखिक दोनों माध्यमों से लाया जा सकता है। मौखिक शिकायतों को तत्पश्चात लिखित रूप में बदला जा सकेगा।

(ख) यदि किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के द्वारा ग्राम सभा में विवाद को लाया जाता है तो ग्राम सभा इस पर 8 दिनों के अन्दर विचार करेगी और सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित करेगी।

(ग) पारम्परिक ग्राम सभा परम्परागत एवं पारिवारिक विवाद जैसे मुद्दे जिसे आपसी चर्चा से सुलझाया जा सके वैसे मुद्दों की सुनवाई करेगी एवं उसका लिखित दस्तावेज रखेगी। ग्राम सभा पारिवारिक एवं गाँव अंतर्गत जमीन सम्बंधित सीमा विवाद जैसे मुद्दों को भी चर्चा के माध्यम से सुलझाएगी। (ग्राम सभा विल्किंसन रूल्स, 1837, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 तथा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 एवं अन्य क्षेत्रीय कानूनों यथा- संथाल सिविल रूल्स, एस. ए. आर. एक्ट एवं अन्य क्षेत्रीय कानूनों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विवाद निपटारा करेगी)

(घ) ग्राम सभा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की सुसंगत धाराएँ यथा संशोधित/प्रतिस्थापित के अंतर्गत परिशिष्ट 1 में वर्णित मुद्दे को स्थानीय स्तर पर सुनवाई करेगी।

(ङ) पारम्परिक ग्राम सभा गंभीर अपराधिक मुद्दों को (परिशिष्ट-1 के मुद्दों को छोड़कर) निकटतम थाना प्रभारी को तत्काल सूचित करेगी।

(च) ग्राम सभा गम्भीर वित्तीय/आर्थिक मुद्दों को (परिशिष्ट-1 के मुद्दों को छोड़कर) विल्किनसन रूल के अनुरूप कोल्हान अधीक्षक (कोल्हान क्षेत्र के लिए विशेष) या अन्य क्षेत्रों के लिए समकक्ष पदाधिकारी अथवा अनुमण्डल पदाधिकारी को अग्रसारित करेगी।

(छ) गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग समय-समय पर नियम में बदलाव करके अन्य मुद्दों को ग्राम सभा को हस्तांतरित कर सकेगी एवं सुनवाई से सम्बंधित संधारित किये जाने वाले मामलों के दस्तावेजीकरण की कार्रवाई की प्रक्रिया सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(ज) किसी विवाद पर सुनवाई अनिवार्य रूप से सार्वजनिक स्थान पर होगी।

(झ) ग्राम सभा या ग्राम सभा की स्थायी समिति विहित रीति से मामले की सुनवाई के लिए सक्षम होगी एवं निर्णयानुसार समुचित कार्यवाई के लिए सक्षम होगी।

(ञ) विवादों का निर्णय करते समय प्राकृतिक न्याय, प्रथागत कानून के सिद्धांतों, रूढ़िजन्य विधि को ध्यान में रखना होगा।

(ट) अंतिम निर्णय पर पहुँचने के पूर्व दोनों पक्ष के व्यक्ति/व्यक्तियों तथा कारवाई में सक्रिय रूप से शामिल सभी अन्य लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने का पर्याप्त मौका दिया जाएगा।

(ठ) सभी लोगों/पक्षों की राय को सुनने के बाद सम्बंधित समिति मामले पर अपने निष्कर्षों एवं अनुशंसा को ग्राम सभा के समक्ष आगे की कारवाई के लिए प्रस्तुत करेगी एवं तदनुसार ग्राम सभा निर्णय लेगी। ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी की ग्राम सभा में दोनों पक्षों से सम्बंधित व्यक्तियों का समिति या ग्राम सभा के निर्णय में भागीदारी नहीं हो।

(ड) निर्णय की प्रति दोनों पक्षों को दी जाएगी एवं उसकी एक प्रति ग्राम सभा में भी संधारित की जाएगी।

**vi. पुलिस की भूमिका -**

(क) पुलिस द्वारा यथाशीघ्र गिरफ्तारी के संबंध में पूरी जानकारी ग्राम सभा को देनी होगी। यह अवधि 7 दिन से अधिक नहीं हो सकेगी।

**vii. पारम्परिक ग्राम सभा के द्वारा दंड -**

(क) जहाँ क्षति करने की कोई नियत नहीं हो तो वैसी स्थिति में अपनी भूल को स्वीकारना, ग्राम सभा के सामने पश्चाताप करना, गलती के लिए क्षमा माँगना और ऐसी गलती दोबारा नहीं करने की प्रतिज्ञा करने को उपयुक्त दंड माना जाएगा।

(ख) ग्राम सभा को कारावास की सजा देने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(ग) ग्राम सभा आर्थिक दंड अधिकतम रू 2,000/- तक का निर्धारण, आर्थिक नुकसान एवं व्यक्ति की क्षमता को देख कर सकेगी, जिसे ग्राम सभा के कोष में जमा करना अनिवार्य होगा। ग्राम सभा दण्डित व्यक्ति के अपीलीय अधिकार का पालन करेगी।

**viii. पारम्परिक ग्राम सभा के निर्णय पर अपीलीय अधिकार -**

(क) पारम्परिक ग्राम सभा के निर्णय से किसी पक्षकार की असहमति की स्थिति में पक्षकार सर्वप्रथम अपने समाज के उपरी सामाजिक पारम्परिक व्यवस्था यथा, मोडे मांझी, पड़हा राजा, मांझी परगना इत्यादि के समक्ष उच्चतम स्तर (बहुस्तरीय) पर अपील कर सकेंगे।

**ix. अपीलीय अधिकार के निर्णय पर असंतुष्टि पर अन्य अधिकार -**

(क) उच्चतर स्तर के पारम्परिक ग्राम सभा के निर्णय से किसी पक्षकार की असहमति की स्थिति में असंतुष्ट पक्षकार विवाद से संबंधित न्याय प्राप्त करने हेतु समुचित वैधानिक प्रक्रिया द्वारा सक्षम न्यायालय जाने हेतु स्वतंत्र है।

## अध्याय - 9

## विकास योजना का अनुमोदन, लाभार्थियों का पहचान एवं सामाजिक क्षेत्र के संस्थाओं के कार्यों पर नियंत्रण

### 24. विकास योजनाओं का प्रस्तावन एवं अनुमोदन:

**(i) पारम्परिक ग्राम सभा द्वारा कार्यक्रमों का प्रस्तावन एवं अनुमोदनः-**

**(क)** पंचायतें, कोई भी सरकारी विभाग या कोई अन्य संस्थान के लिये अनिवार्य होगा कि वहगाँव की योजनाओं एवं परियोजनाओं को लागू करने के पूर्व सम्बन्धित ग्राम सभा या पंचायत समिति या जिला परिषद (जैसी स्थिति हो) परियोजना के भौगोलिक क्षेत्रानुसार की स्वीकृति प्राप्त करें - यथा एक से अधिक ग्राम पंचायत की स्थिति में पंचायत समिति एवं एक से अधिक पंचायत समिति की स्थिति में जिला परिषद से स्वीकृति प्राप्त की जाएगी ।

**(ख)** वार्षिक या आवधिक आधार पर, उपायुक्त/जिला पदाधिकारी (DM/DC) एक बहु-अनुशासनात्मक टीम (Multi Disciplinary Team) का गठन करेगा, जो पारम्परिक ग्राम सभा से विचार-विमर्श कर उनके क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक और वार्षिक समेकित विकास योजनाएँ तैयार करेगा। इस परामर्श के दौरान MDT ग्राम सभा के साथ विद्यमान योजनाओं, परियोजनाओं और बजट की जानकारी साझा करेगा।

**(ग)** इन चर्चाओं के आधार पर MDT एक समेकित विकास योजना तैयार करेगा और इसे पारम्परिक ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करेगा। प्रस्ताव में तकनीकी विवरण, कार्यान्वयन का तरीका, वित्तीय विवरण, और फंड के स्रोत स्पष्ट रूप से शामिल होंगे। साथ ही स्थानीय श्रम का उपयोग और ठेकेदारों की भूमिका भी प्रस्ताव में दर्शाई जाएगी।

गाँव में किसी कार्यक्रम या परियोजना की शुरुआत करने के पूर्व पंचायतें, कोई भी सरकारी विभाग या अन्य कोई संस्थान इसकी स्वीकृति के लिये MDT के माध्यम से ग्रामसभा के सचिव को लिखित प्रस्ताव भेजेंगी । ग्राम सभा द्वारा पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर प्रस्तुत योजना पर निर्णय देना अनिवार्य होगा अन्यथा योजना स्वतः स्वीकृत माना जाएगा । ग्राम सभा के सचिव प्रस्ताव प्राप्ति की तिथि को पत्र प्राप्ति रजिस्टर में लिखेंगे एवं अध्यक्ष को इसकी लिखित सूचना देंगे । अध्यक्ष 15 दिनों के अन्दर ग्राम सभा की बैठक कराना सुनिश्चित करेंगें । परन्तु, विशेष परिस्थिति में जब ग्राम सभा सुनवाई जारी हो परन्तु तय समय-सीमा में ग्राम सभा निर्णय लेने में असमर्थ हो तो ऐसे परिस्थिति में ग्राम सभा अलग से 30 दिनों का समय ले सकेगी एवं उप-विकास आयुक्त को लिखित रूप से प्रारंभिक समय सीमा के अंतर्गत सूचित करेगी।

**(घ)** MDT अपने प्रस्ताव में योजना/परियोजना की पूरी तकनीकी और वित्तीय जानकारी ग्रामसभा के समक्ष प्रस्तुत करेगी। ग्राम सभा कभी भी, वांछित सूचनाओं/जानकारियों की मांग कर सकती है। ग्राम सभा के समक्ष प्रस्ताव में निम्न सूचनाओं का होना अनिवार्य होगा :

i. कार्यक्रम का ब्यौरा, वित्तीय विवरण, निधि का स्रोत आदि।

**(ङ)** यह ग्राम सभा का अधिकार होगा कि:

i. संबंधित संस्थान/विभाग/एजेंसी के द्वारा प्रस्तुत योजना, कार्यक्रम या परियोजना पर निर्णय दें या कोई शर्त लगाये ।

ii. कार्यक्रम के लिए अनुमोदन देते समय, गाँव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव में आवश्यक बदलाव का निर्देश दे ।

iii. यह अनुमोदन, संशोधन या रद्द करने का प्रस्ताव (ग्राम सभा की बैठक के एजेंडे में) लिखित आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर ही लाया जा सकेगा अन्यथा प्रस्ताव स्वतः स्वीकृत माना जाएगा । ग्रामसभा का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। परन्तु विवाद की स्थिति में 24 (iii) (ग) के अनुसार सुनवाई किया जाएगा ।

**(ii) ग्राम सभा द्वारा कार्यक्रमों की निगरानी:**



(हस्ताक्षर)

(क) ग्राम सभा की बैठकों में, उसके क्षेत्र में कार्य करने वाली सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी एजेंसियों के द्वारा गाँव में चल रहे प्रत्येक कार्य से संबंधित विवरण उपलब्ध कराएंगे ।

(ख) कार्य की गुणवत्ता, व्यय के प्रमाणन इत्यादि से संबंधित किसी आपत्ति को ग्रामसभा के सामने प्रस्तुत किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर ग्राम सभा मुद्दे की जाँच कर सकती है एवं सुधार के लिये उचित निर्देश दे सकती है ।

**(iii) ग्रामसभा के निर्णयों का अनुपालन :**

(क) यदि किसी सरकारी विभाग/संस्थान/एजेंसी एवं ग्राम पंचायत के द्वारा किसी योजना विशेष के क्रियान्वयन की सुगमता के लिए गाँव के स्तर पर समिति के गठन की आवश्यकता महसूस की जाती है, तो ग्राम सभा से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ख) ग्राम पंचायत और इसकी समितियाँ, ग्राम सभा के नियंत्रण एवं उसके दिशा-निर्देश में कार्य करेंगी और वे पूर्ण रूप से ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होंगी।

(ग) यदि ग्राम सभा नियम 24(i) एवं नियम 24(ii) में उल्लेखित अधिकारों का प्रयोग करते समय, ऐसा निर्णय लेती है, जिससे किसी विभाग/संस्थान/एजेंसी या अधिकारी के आधिकारिक कार्य में कोई चुनौती पैदा होता हो या चुनौती होने की संभावना हो तो, निम्न प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है:

I. संबंधित विभाग का प्रतिनिधि ऐसे मुद्दे पर कार्रवाई स्थगित करेंगे और अपने दृष्टिकोण को ग्रामसभा में प्रस्तुति करेंगे एवं निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करेंगे ।

II. यदि विभाग ग्राम सभा के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो विभाग उस मामले को जिला-उपायुक्त के पास रख सकेगी । उपायुक्त / उपायुक्त द्वारा नामित प्रतिनिधि, ग्राम सभा और सम्बंधित विभाग के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक बुलाकर विवादित मामले पर चर्चा करेगी एवं प्राप्त आवेदन पर 90 दिनों के अन्दर निर्णय लिया जाएगा । मामले के निष्पादन हेतु उपायुक्त संबन्धित विभाग को निर्णय हेतु प्रतिवेदित करेंगे ।

**(iv) उपलब्ध श्रम बल के लिए ग्राम सभा के द्वारा योजना बनाना:**

(क) ग्राम सभा अपने अधीनस्थ क्षेत्र में वन संबंधी, इत्यादि कार्यों के संचालन के लिए उपलब्ध श्रम बल के पूर्ण उपयोग हेतु सक्षम होगी।

(ख) ग्राम सभा ग्रामीणों के बीच आपसी सहयोग एवं उनके ज्ञान को साझा करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन कार्यक्रम कर सकती है।

**(v) मस्टर रोल एवं गाँव के प्रवासी श्रमिक : श्रम बल के लिए ग्राम सभा के द्वारा योजना बनाना -**

(क) ग्राम सभा में मस्टर रोल से सम्बंधित जानकारी दी जाएगी - किसी विभाग या संस्था द्वारा किये जाने वाले सभी कार्यों से सम्बंधित श्रमिकों की मस्टर रोल में यदि ग्राम सभा के सदस्य या अध्यक्ष कोई त्रुटियाँ पाते हैं तो, ऐसी त्रुटि का निराकरण किया जा सकेगा।

(ख) अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम, 1979 के तहत श्रम विभाग, झारखण्ड सरकार के विभागीय पोर्टल (Shramadhan.jharkhand.gov.in) पर प्रवासी महिलाओं एवं पुरुषों का निबंधन ग्राम सभा सुनिश्चित करेगी एवं इसका रिकॉर्ड रखेगी । यह रिकार्ड पंचायत को प्रविष्टि के लिए उपलब्ध करायी जायेगी । गाँव के श्रमिकों को बाहर ले जाने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थानों के लिए आवश्यक होगा कि वे श्रमिकों को बाहर ले जाने से पूर्व ग्राम सभा से पूर्वानुमति प्राप्त करें। इसके अंतर्गत नियोक्ता द्वारा कार्यस्थल का पूरा पता, संपर्क नंबर, वेतन की प्रकृति, भुगतान का तरीका, कार्य की शर्तें आदि की जानकारी लिखित रूप में ग्राम सभा को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। नाबालिकों के मामले में ग्राम सभा के पूर्वानुमति हेतु बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा तथा बाल श्रमिकों को नियोजन हेतु ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा ।

(ग) ऊपरोक्त उपनियम के आलोक में पारम्परिक ग्राम सभा सुनिश्चित करेगी कि गाँव से बाहर जा रहे सभी व्यक्तियों के पास काम और अनुबंध के बारे में पूरी एवं सही सूचना हो । यदि बाहर जाने के भत्ते के रूप में उन्हें कोई अग्रिम दिया जाना है, तो उस राशि को पारम्परिक ग्राम सभा के सामने दिया जाएगा ।

(घ) उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार ग्राम सभा की अनुमति मिलने के पश्चात ही ग्रामीणों को काम के लिए बाहर ले जाना संभव हो सकेगा। नियोक्ता द्वारा प्रक्रिया पालन नहीं करने पर अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार

(नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम, 1979 के तहत सक्षम न्यायालय में कार्रवाई हेतु परिवाद दायर करने का अधिकार ग्राम सभा के पास भी होगा।

(ङ) किशोरियों और बालिकाओं को बिचैलियों से बचाने के लिए, ग्राम सभा द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रावधानों / उपचारों के तहत व्यवस्था बनाई जा सकेगी। सरकारी एवं संगठित क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के अलावे, निजी या असंगठित क्षेत्र के प्रबन्धकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे संबंधित ग्राम सभा को प्रवासी ग्रामीणों (विशेषकर महिलाऐं, लड़कियाँ एवं नाबालिक बच्चें) की सलामती के बारे में समय-समय पर सूचित करे।

## 25. लाभार्थियों की पहचानः

लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा के महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है। चूँकि, विभिन्न विभागों की योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्रदान करने हेतु पात्रता मानदंड भिन्न-भिन्न होते हैं। अतः ग्राम सभा की बैठक में संबंधित विभाग की पात्रता शर्तों को ध्यान में रखते हुए लाभुकों का चयन किया जायेगा। यह चयन प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष तथा सर्वसम्मति से सम्पन्न की जायेगी ताकि वास्तविक पात्र लाभुकों को प्राथमिकता से लाभ प्राप्त हो सके।

इसके अतिरिक्त, ग्राम सभा द्वारा चयनित लाभुकों की एक प्रतीक्षा सूची (Waiting List) भी तैयार की जायेगी, जिससे भविष्य में अतिरिक्त स्वीकृति अथवा अवसर उपलब्ध होने पर सूचीबद्ध लाभुकों को क्रमवार लाभ प्रदान किया जा सकेगा।

(1) आपात स्थिति या गाँव के किसी परिवार के गंभीर रूप से आर्थिक संकटग्रस्त/मरणासन्न अथवा आवश्यकता होने की स्थिति में ग्राम सभा प्राथमिकताओं में बदलाव कर उस परिवार/व्यक्ति के हित में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर सकती है परन्तु यह केवल अपवाद स्वरुप ही होगा।

(2) ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित होने के बाद अंतिम रूप से चयनित लाभार्थियों की सूची सम्बंधित विभागों या सक्षम पदाधिकारियों को अग्रेतर कार्रवाई के लिए प्रेषित की जाएगी। सक्षम पदाधिकारियों के लिए यह आवश्यक होगा कि संबंधित विभाग के योजनाओं के नियमानुसार ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सूची को ध्यान में रखते हुए अग्रेतर कार्रवाई करें।

## 26. सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं का अनुश्रवण :

**i.** पारम्परिक ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि गाँव के सभी लोगों को भोजन, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, टीकाकरण, स्वच्छता, पेयजल आदि सामाजिक सुविधायें नियमित रूप से मिले। इसके लिए ;

(क) सामाजिक प्रक्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं अपने कार्यक्रमों से सम्बंधित वार्षिक विवरणी ग्राम सभा को समर्पित करेंगी तथा ग्राम सभा की सहमति से सम्बंधित गाँव में कार्यों का क्रियान्वन करेगी।

(ख) परंपरागत ग्राम सभा द्वारा, निर्धारित मानदंडों के अधीन, स्थानीय स्तर के क्षेत्रीय कार्मिकों का चयन किया जाएगा, जिनमें **आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य साहिया, जल साहिया, बैंक मित्र, बैंक सखी, अन्य स्थानीय मित्र या सखी अथवा सेवक एवं ऐसे ही अन्य ग्राम सभा स्तर के कर्मी** सम्मिलित होंगे।

(ग) ग्राम सभा सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं/कार्यक्रमों से जुड़े स्थानीय संस्थानों (सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान) जैसे-स्कूल, अस्पताल, जनवितरण प्रणाली की दुकानें, आंगनबाडी केंद्र एवं कर्मियों जैसे-आंगनबाडी कार्यकर्ता / बैंक मित्र / बैंक सखी / महिला समूह / सहिया / जल सहिया / पोषण सखी इत्यादि की समय-समय पर समीक्षा करने के लिये सक्षम होगी।

(घ) ग्राम सभा सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं की आधारभूत संरचना की स्थिति, उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं तक लोगों की पहुँच, उपलब्ध सुविधाएं, सेवायें, कर्मियों के काम और विशिष्ट भूमिका, उनका प्रभाव और सेवाओं को देने में आ रही कठिनाईयाँ आदि की अद्यतन स्थिति और यथोचित कारवाई के लिए साल में कम से कम चार बार समीक्षा बैठक करेगी।

(ङ) तकनीकी विषयों यथा स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण ,संसाधनों के प्रबंधन, निर्माण आदि की समीक्षा के लिए ग्राम सभा विशेषज्ञों की कार्यदल बना सकती है। इस कार्यदल में ग्राम सभा अन्य, दूसरे गाँव या अन्य

जिलों के विशेषज्ञों को शामिल कर सकती है। यह टास्क फ़ोर्स ग्राम सभा के निर्देशन और नियंत्रण में काम करेगी।

**(च)** स्थानीय संस्थानों की सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार के लिये ग्राम सभा के द्वारा दिये गये निर्देशों का संबंधित सरकारी और गैर सरकारी संस्थान एवं उनके कर्मियों के द्वारा विभागीय नियमानुसार पालन किया जाएगा एवं प्रतिवेदन निर्देश प्राप्ति के एक माह के भीतर लिखित में ग्राम सभा अध्यक्ष को उपलब्ध करवाया जाएगा।

**ii. ग्राम सभा द्वारा सामजिक अंकेक्षण :** जमीनी स्तर पर चल रही योजनाओं की गुणवत्ता जाँच तथा मूल्यांकन के लिए, ग्राम सभा योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण करेगी। इसके लिए ग्राम सभा विशेषज्ञों की एक समिति बना सकती है।

**(क)** सामाजिक अंकेक्षण के लिए, योजनाओं के चयनोपरांत उस कार्यक्रम या योजना से सम्बंधित आवश्यक दस्तावेज ग्राम सभा द्वारा एकत्र किए जायेंगे। ग्राम सभा सम्बंधित विभाग से दस्तावेज की माँग लिखित में कर सकेगी और विभाग/संस्थान, दस्तावेजों को 30 दिन की अविधि के अन्दर ग्राम सभा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी ।

**(ख)** ग्राम सभा योजना क्रियान्वयन की जाँच करेगी एवं दस्तावेज में दर्शाए गए मानक से तुलनात्मक मिलान करेगी। साथ ही सामाजिक अंकेक्षण टीम उन सभी कामगारों से भी प्रश्न कर सकेगी जिनका नाम मस्टर रोल में उल्लेखित है। जमीनी स्तर पर जाँच करने के पश्चात सामाजिक अंकेक्षण टीम एक रिपोर्ट तैयार करेगी।

**(ग)** यदि ग्राम सभा में योजना या कार्यक्रम में रिपोर्ट जमा करने पर योजना एवं कार्यक्रम के विरुद्ध आपत्तियाँ दर्ज होती हैं तो ग्राम सभा 30 दिन के अन्दर संबंधित प्रखण्ड के सक्षम अधिकारियों के पास ग्राम सभा की अनुशंसा सहित कार्रवाई हेतु भेजेगी।

**(घ)** सम्बंधित प्रखण्ड 60 दिनों के अंतर्गत प्रखण्ड द्वारा किए गए कार्रवाई पर ग्राम सभा को सूचना प्रेषित करेगी । परन्तु कार्रवाई से संतुष्ट न होने की दशा में ग्राम सभा अग्रेतर कार्रवाई हेतु संबंधित जिला के सक्षम अधिकारियों को सूचित करेगी।

**(ङ)** सम्बंधित जिला 90 दिनों के अंतर्गत जिला द्वारा किए गए कार्रवाई पर ग्राम सभा को सूचना प्रेषित करेगी। परन्तु कार्रवाई से संतुष्ट न होने की दशा में ग्राम सभा अग्रेतर कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य स्तर के सक्षम अधिकारियों को सूचित करेगी।

**27. ग्राम सभा द्वारा निधियों के उपयोग का अभिप्रमाणित किया जाना:-**

**i.** पंचायत सचिव प्रत्येक पूर्ण कार्य की विवरणी, सम्बंधित ग्राम सभा को लाभार्थियों की सूची सहित कार्य का अंतिम भुगतान होने के 90 दिनों के अंतर्गत ग्राम सभा को समर्पित करेंगे । ग्राम सभा उचित कारणों को सुनने के पश्चात ही निधियों के उपयोग को अभिप्रमाणित करेगी।

**ii.** पंचायतों से प्राप्त जानकारियों को ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा और यदि कार्य की गुणवत्ता/ व्यय के संबंध में कोई आपत्ति है तो पंचायतों के सचिव से ग्राम सभा स्पष्ट विस्तृत ब्यौरा की माँग करेगी ।

**iii.** पंचायत द्वारा संपन्न कार्यों की गुणवत्ता और व्यय की गयी राशि को योजना के अनुरूप सही पाए जाने पर ग्राम सभा उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम होगी ।

**iv.** यदि ग्राम सभा को व्यय की गयी राशि को लेकर आपत्ति है और पंचायत द्वारा प्रदान किए गये ब्यौरा से संतुष्ट नहीं है तो, मामले पर अग्रेतर कारवाई हेतु ग्राम सभा संबंधित विभाग के सक्षम पदाधिकारी को लिखित सूचना यथाशीघ्र उपलब्ध कराएगी।

## अध्याय- 10
## भूअर्जन एवं पुनर्स्थापन

**28.** भू-अर्जन एवं पुनर्स्थापन विषय अंतर्गत ग्राम सभा से पूर्व-सहमति प्राप्त की जाएगी एवं उक्त विषय पर विचार हेतु ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक में कोरम की बाध्यता अनिवार्य होगी ।

## अध्याय- 11
## लघु जल निकायों का प्रबंधन

### 29. लघु जल निकाय का प्रबंधन :

**i. जल स्रोतों का नियोजन एवं प्रबंधन -**

**(क)** जल स्रोतों का प्रबन्धन एवं उपयोग इस प्रकार किया जाएगा कि इन्हें आगामी पीढ़ियों के लिए बरकरार रखा जाय एवं सभी ग्रामीणों का इस पर बराबर अधिकार हो।

**(ख)** ग्राम पंचायत के अंतर्गत 01 हेक्टेयर तक के लघु जल निकायों को ग्राम पंचायत के द्वारा प्रबन्धित किया जायेगा और एक से ज्यादा ग्राम पंचायतों के क्षेत्रांतर्गत जल निकायों का पंचायत समिति के द्वारा एवं एक से ज्यादा प्रखण्ड के अंतर्गत लघु जल निकायों का प्रबंधन जिला परिषद् के द्वारा किया जाएगा।

**(ग)** ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् (जैसी स्थिति हो), ग्राम सभा की परामर्श से परम्पराओं एवं लागू नियमों को ध्यान में रखते हुए, गाँव में उपलब्ध प्राकृतिक जल श्रोत को विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियमित करेंगी एवं उपयोग की प्राथमिकता भी निर्धारित करेगी।

**(घ)** त्रि-स्तरीय पंचायतों के लिए अनिवार्य होगा कि प्राकृतिक जल निकाय से सम्बन्धित कोई भी निर्णय लेने के पूर्व ग्राम सभा से परामर्श अवश्य प्राप्त करेंगें। ग्राम सभा द्वारा पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर प्रस्तुत योजना पर निर्णय देना अनिवार्य होगा अन्यथा योजना स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। ग्राम सभा के सचिव प्रस्ताव प्राप्ति की तिथि को पत्र प्राप्ति रजिस्टर में लिखेंगे एवं अध्यक्ष को इसकी लिखित सूचना देंगे। अध्यक्ष 15 दिनों के अन्दर ग्राम सभा की बैठक कराना सुनिश्चित करेंगें। परन्तु, विशेष परिस्थिति में जब ग्राम सभा सुनवाई जारी हो परन्तु तय समय-सीमा में ग्राम सभा निर्णय लेने में असमर्थ हो तो ऐसे परिस्थिति में ग्राम सभा अलग से 30 दिनों का समय ले सकेगी एवं उप-विकास आयुक्त को लिखित रूप में प्रारंभिक समयसीमा के अंतर्गत सूचित करेगी।

**ii. सिंचाई का प्रबन्धन :**

**(क)** ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् (जैसी स्थिति हो), ग्राम सभा से सहमती लेने के बाद ही सिंचाई के लिए जल के उपयोग को विनियमित करेंगी।

**(ख)** सिंचाई के लिए जल का उपयोग इस प्रकार होगा कि सबकी समान पहुँच हो।

**(ग)** संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद को ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ग्राम सभा का निर्णय अंतिम एवं सभी के लिए बाध्यकारी होगा।

**(घ)** जल निकायों में प्रदुषण को रोकने हेतु ग्राम सभा आवश्यक निर्देश जारी कर सकेगी।

**iii. तालाब की भूमि का प्रबन्धन:** ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् (जैसी स्थिति हो), सार्वजनिक प्राकृतिक संपदा रामिति एवं संबंधित विभाग के परामर्श से सिंचाई या अन्य उदेश्यों के लिए निर्मित तालाब के जलस्तर में कमी से उपलब्ध भूमि पर खेती की व्यवस्था करेंगे।

**iv. मछली, मखाना, पानी फल एवं अन्य उत्पाद :**

**(क)** सभी व्यक्तियों को गाँव के क्षेत्र के अधीन स्थित प्राकृतिक जल संसाधनों में परम्परा के अनुसार निजी उपभोग के लिए मछली पकड़ने का समान अधिकार होगा।

**(ख)** स्थानीय परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए, ग्राम या एक से अधिक ग्राम के क्षेत्र के अंतर्गत तालाब/आहर/पोखर/डोभा है तो, ग्राम पंचायत मछली पकड़ने के किसी पहलू से संबंधित आवश्यक शर्तें लगा सकेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एक या अधिक व्यक्ति अनुचित प्रकार से अपने क्षेत्राधिकार से आगे न बढ़े और मछलियों की उपलब्धता बनी रहे।

**(ग)** मछली पालन के लिए तालाब/आहर/पोखर से होने वाले उपज एवं अन्य उत्पाद की नीलामी करने के पूर्व संबंधित ग्राम सभा/सभाओं की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(घ) मछली पालन की नीलामी से प्राप्त राजस्व को उस तालाब/आहर/पोखर/डोभा के क्षेत्रफल में हिस्सेदारी के अनुपात में ग्राम सभाओं को 80% राशि वितरित की जाएगी एवं 20% समुचित स्तर पर नीलामी कराने वाली पंचायतों को देय होगी। इस राशि का खर्च पंचायतें मुख्यतः जल श्रोतों के प्रबंधन के लिए कर सकेंगी। स्थानीय सहयोग समितिओं को प्राथमिकता दी जायेगी । ग्राम सभा जल संसाधन के विकास को ध्यान में रखते हुए प्राप्त राशि को खर्च कर सकती है ।

## अध्याय- 12
## लघु खनिज

**30. लघु खनिजों का उपयोग -**

**i. ग्राम सभा द्वारा मिट्टी, पत्थर, बालू, मोरम इत्यादि सहित अपने क्षेत्र में पाये जाने वाले लघु खनिजों का उपयोग -**

(क) ग्राम सभा अपने क्षेत्र में पाये जाने वाले मिट्टी, पत्थर, बालू, मोरम इत्यादि सहित अन्य लघु खनिजों के ग्रामीण परम्परागत प्रथाओं के अनुसार सरकार द्वारा दिए गए दिशा निदेश के अलोक में स्वयं के उपयोग के लिए सक्षम होंगी।

(ख) ग्राम सभा उक्त जिम्मेवारी का निर्वहन करेगी।

(ग) Sustainable Sand Mining Guidelines, 2016 एवं 2020 के तहत तैयार किए गए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (बालू) के अनुसार Category-1 के बालू घाटों का संचालन अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सुपुर्द किया जाएगा। ग्राम सभा Category-1 के बालुघाट का संचालक होगी एवं अपने स्तर से स्थानीय जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर सकेगी । ग्राम सभा को सुपुर्द बालू घाट के इस्तेमाल से जो शुल्क/राजस्व प्राप्त होगा उसे ग्राम सभा अपने कोष में जमा कर इस राशि का व्यय ग्राम विकास अथवा स्थानीय विकास के लिए कर सकेगी। (यह झारखण्ड बालू खनन नियमावली, 2025 के तहत होगा)

(घ) ग्राम सभा को हस्तांतरित Category-1 के बालू घाट में ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी परिस्थिति में नदी के तल में जेसीबी या अन्य किसी मशीन से बालू का खनन नहीं हो।

(ङ) ग्राम सभा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भारत सरकार के निर्देशों के आलोक में मानसून अवधि (झारखण्ड के सन्दर्भ में 10 जून से 15 अक्टूबर) में बालू के खनन और उठाव पर पूर्णतया रोक लगाया जाना सुनिश्चित करेगी।

**ii. लघु खनिज का खनन पट्टा प्राप्त करने का अधिकार:**

(क) झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के अध्याय 2 के उपबंध 5 (4) के तहत अनुसूचित क्षेत्रों से सम्बंधित ग्राम सभा से पूर्व संसूचित स्वतंत्र सहमति के बिना लघु खनिज का कोई खनन पट्टा अथवा खुली खान का अनुमति पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। (झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2014 के संशोधन के अलोक में)

## अध्याय- 13
## मादक द्रव्यों का नियंत्रण

### 31. मादक द्रव्यों का विनियमनः

**i.**

(क) झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 के प्रावधानानुसार अनुसूचित जनजातियों के सदस्य अनुसूचित क्षेत्रों में परम्परागत ढंग से चावल से उत्पादित देशी शराब इलि, महुआ-शराब, पचवई, बोडें, डियंग, झारदा इत्यादि का विनिर्माण, उत्पादन, उपभोग, भंडारण, आदि निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए कर सकेंगे, अर्थात,

I. अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा इलि, महुआ-शराब ,पचवई, बोडें, डियंग, झारदा इत्यादि का विनिर्माण घरेलू उपभोग तथा सामाजिक और धार्मिक समारोहों पर उपभोग के प्रयोजनों के लिये ही किया जायेगा।

II. इस प्रकार विनिर्मित इलि, महुआ-शराब, पचवई, बोडें, डियंग, झारा इत्यादि के भंडारण की ***अधिकतम सीमा ग्राम सभा तय कर सकेंगी।***

(ख) अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के प्रारंभिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत समाविष्ट किसी क्षेत्र में ग्राम सभा के सहमति के बिना किसी मादक द्रव्य के विनिर्माण के लिए नई विनिर्माणशाला स्थापित नहीं की जाएगी। इस उपबंध के प्रवर्तन होने के पूर्व से स्थापित विनिर्माणशाला पर यह नियम लागू नहीं होगा ।

(ग) अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के प्रारंभिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत समाविष्ट किसी क्षेत्र में ग्राम सभा के सहमति के बिना किसी मादक द्रव्य के भंडारण के लिए नई इकाई स्थापित नहीं की जाएगी। इस उपबंध के प्रवृत्त होने के पूर्व से स्थापित भंडारण इकाई पर यह नियम लागू नहीं होगा ।

(घ) अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के प्रारंभिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत समाविष्ट किसी क्षेत्र में ग्राम सभा के सहमति के बिना किसी मादक द्रव्य के विक्रय के लिए नई इकाई स्थापित नहीं की जाएगी। इस उपबंध के प्रवृत्त होने के पूर्व से स्थापित विक्रय इकाई पर यह नियम लागू नहीं होगा।

(ङ) मादक द्रव्य के विनियमन विषय एवं नशा मुक्ति के विषय पर ग्राम सभा की महिला सदस्यों का दृष्टीकोण के अनुसार इस संबंध में कार्रवाई की जा सकेगी।

## अध्याय- 14
## लघु वन उपज

### 32. लघु वन उपज

**i. लघु वन उपज संबंधी अधिकारः-**

(क) ग्राम सभा क्षेत्र की सीमा के अन्दर वन भूमि पर लघु वनोपज का स्वामित्व, संग्रहण का अधिकार तथा उसके उपयोग एवं निपटान के अधिकारों की मान्यता अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (1) एवं 3(1)(ग) में उपबंधित प्रावधानों के अनुसार होगा।

तथापि इस नियमावली में किसी बात को रहते हुए भी झारखण्ड राज्य में केन्दू पत्ती का संग्रहण, प्रबंधन एवं विपणन; बिहार केन्दू पत्ती (व्यापार-नियंत्रण) अधिनियम, 1973 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, राँची द्वारा संग्रहकर्ता और/या ग्राम सभा के खाते में जमा किया जाएगा।

(ख) ग्राम सभा क्षेत्र की पारम्परिक सीमा के अन्दर, वन भूमि पर किसी लघु वनोपज के स्वामित्व का अधिकार एवं प्रबंधन, किसी व्यक्ति या समुदाय को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अनुसार सभी लघु वनोपज के स्वामित्व का अधिकार एवं प्रबंधन, ग्राम सभा का होगा।।

**ii. ग्राम सभा के कर्तव्यः- ग्राम सभा निम्न कर्तव्यों का निर्वहन करेगी-**

(क) ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में स्थित वनों के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन की जिम्मेदारी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(झ) तथा धारा 5 के अनुसार ग्राम सभा की होगी।

(ख) ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि लघु वनोपज के संग्रहकर्ता द्वारा लघु वनोपज के संग्रहण के क्रम में वन, वन्यजीव एवं जैव विविधता को क्षति नहीं पहुँचाई जाय ।

(ग) किसी व्यक्ति द्वारा परम्परागत रूप से लघु वनोपज का संग्रहण, स्वामित्व एवं विपणन के विषय पर व्यक्तिगत दावों के मामलों में ग्राम सभा ऐसे दावों के सत्यापन के बाद बहुमत के आधार पर विवाद का निपटारा कर सकेगी।

(घ) बाँस के राईजोम (करील) को खोदने एवं निकालने तथा बाँस के फूल के आने के समय विदोहन को प्रतिबंधित करना ।

(ङ) ग्राम सभा वन संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन का कार्य उसके द्वारा गठित ग्राम सभा या स्थायी समिति के माध्यम से करेगी। इस हेतु ग्रामसभा द्वारा आवेदन करने पर सरकार के समस्त विभाग सहायता करेंगे। इस नियम में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, वन भूमि, वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन घोषित संरक्षित क्षेत्र से सम्बंधित हो, तो कार्य योजना के अधीन होगी, जो राष्ट्रीय कार्यशील योजना संहिता, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980, वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 अथवा अन्य किसी प्रचलित लागु विधि के अनुसार विधिवत रूप से तैयार एवं सक्षम प्राधिकार द्वारा केंद्रीय तथा राज्य कानूनों के अनुरूप अनुमोदित की गई हो ।

(च) ग्राम सभा व्यक्तिगत और सामुदायिक जरूरतों जैसे निस्तार, चराई, जलावन, कृषि उपकरण बनाने के लिए सूखी और मरी लकड़ी, बाँस तथा पारम्परिक संस्कार में लगने वाले पदार्थों को आवश्यकतानुसार, वन से निकालने के लिए व्यवस्था करेगी। ऐसे अधिकारों का प्रयोग तत्समय प्रभावी केंद्रीय एवं राज्य कानूनों के अनुरूप होगा ।

(छ) लुप्त प्राय वन्यजीव एवं जैव प्रजातियों का संरक्षण एवं पुर्नवास कर स्थानीय जैव विविधता के पुनः स्थापन का प्रयास करेगी ।

**iii. वन से संबंधित विभागीय कार्यक्रमों के लिए ग्राम सभा के साथ परामर्श -**

(क) लघु वनोपज को छोड़कर वन भूमि से वनोपज के दोहन के लिए विभागीय कार्यक्रम तैयार करने के पूर्व वन विभाग, ग्राम सभा से परामर्श करेगी और ग्राम सभा ऐसी योजना को संशोधित/असंशोधित रूप से अनुमोदित करने के लिए सक्षम होगी।

(ख) वन क्षेत्र से वन विभाग द्वारा ऐसे पेड़-पौधों का व्यवसायिक रूप से विदोहन नहीं किया जायेगा, जो स्थानीय लोगों के लिए उपयोगी हो।

**iv. लघु वन उपज का प्रबंधन एवं विपणन -**

(क) ग्राम सभा लघु वन उपज के प्रबंधन हेतु एक 5 वर्षीय सूक्ष्म प्रबंधन योजना एवं वार्षिक कार्य योजना तैयार कर सकेगी । ग्राम सभा ऐसी योजना तैयार करने हेतु वन विभाग के वनपाल या सक्षम पदाधिकारी से सहयोग ले सकेगी।

(ख) ग्राम सभा सूक्ष्म प्रबंधन योजना के जरिए लघु वनोपज का समुचित दोहन तथा जैव विविधता व जैविक श्रोतों का संरक्षण एवं संवर्धन कर सकेगी।

(ग) ग्राम सभा लघु वनोपज के प्रत्येक संग्रहकर्ता का नाम, उनके द्वारा संग्रह किए जाने वाले लघु वनोपज, उसकी मात्रा इत्यादि अभिलेख पंजी में संधारित करेगी।

(घ) लघु वनोपज की सीमित मात्रा होने की स्थिति में, ग्राम सभा आर्थिक रूप से कमजोर तथा संसाधन विहीन व्यक्तियों को प्राथमिकता देते हुए एक चक्रीय व्यवस्था बना सकती है।

(ङ) लघु वनोपज के संग्राहक/ग्राम सभा एकत्रित लघु वनोपज को अपनी पसन्द के अनुसार बेचने के लिए स्वतंत्र होगी ।

(च) ग्राम सभा, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, राँची या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य सहकारी संघ या सरकार द्वारा गठित सहकारिता समिति या फेडरेशन को संग्राहक से निर्धारित मूल्यों पर लघु वनोपज क्रय कर बेचने के लिए अधिकृत कर सकता है।

परन्तु, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, राँची या अन्य अधिकृत समिति/संघ द्वारा लघु वनोपज के विक्रय के पश्चात परिवहन, विपणन, आदि में हुए खर्च की कटौती कर प्राप्त शुद्ध लाभ की राशि, को ग्राम सभा के खातों में जमा किया जाएगा।

(छ) ग्राम सभा द्वारा लघु वनोपज के विपणन से प्राप्त शुद्ध लाभ की राशि का उपयोग सामुदायिक विकास कार्यों और/या लघु वनोपज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जा सकेगा।



ह. विनायक

१७

(ज) लघु वनोपज सुचारू रूप से प्रबंधन एवं विपणन हेतु राज्य सरकार एवं समुचित स्तर के प्राधिकार पंचायत द्वारा यथासंभव लघु वनोपज के मूल्य संवर्धन, बाजार लिंकेज इत्यादि में सहायता, प्रशिक्षण, लघु वनोपज विकास केन्द्र, मानव शक्ति इत्यादि उपलब्ध कराएगी।

**v. ग्राम सभा के द्वारा लघु वनोत्पाद का मूल्य, रॉयल्टी तय किया जाना -**

(क) लघु वनोपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग या कोई अन्य सरकारी विभाग/संघ/समिति के द्वारा विभागीय नियमों के अनुसार किया जा सकेगा।

(ख) एक या एक से अधिक ग्राम सभा चाहे तो संयुक्त रूप से वन विभाग के वनपाल या सक्षम प्राधिकार के सहयोग से वनोपज की क्रय एवं बिक्री के लिए न्यूनतम मूल्य तय कर सकेगी। ग्राम सभा ऐसे न्यूनतम मूल्य पर क्रय तथा उसके बेचने या निपटान की व्यवस्था करेगी।

(ग) ग्राम सभा, लघु वनोपज पर संग्रहकर्ता या व्यापारी द्वारा देय रॉयल्टी का निर्धारण ग्राम सभा के बैठक में कर सकेगी। प्राप्त कोष को ग्राम सभा के खाता में जमा किया जाएगा।

(घ) किसी अधिनियम, नियम या विनियमों के अधीन किसी सरकारी विभाग या सहकारी संघ या सहकारिता समिति के द्वारा संग्रहित लघु वनोपज को ग्राम सभा क्षेत्र के बाहर ले जाने के पूर्व, ग्राम सभा को संसूचित करना अनिवार्य होगा।

(ङ) यदि स्थानीय वन अधिकारी को किसी ग्राम सभा के क्षेत्र में वन अपराध होने के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो वह सुसंगत वन एवं वन्य प्राणी अधिनियम के तहत विधिसम्मत कार्रवाई करेगा तथा की गई कार्रवाई के संबध में ग्राम सभा को सूचित करेगा।

## अध्याय- 15
## संक्रमित भूमि का प्रत्यावर्तन

**33. अनुसूचित जनजाति की विधि विरुद्ध संक्रमित भूमि का प्रत्यावर्तनः-**

**i. गाँव में भूमि के संबंध में, ग्राम सभा निम्न गतिविधियाँ कर सकती है:-**

(क) ग्राम सभा सुनिश्चित करेगी कि कृषि योग्य भूमि किसी भी कारण से परती नहीं रहे और गाँव से बाहर गये प्रवासी लोगों, आश्रितों एवं नाबालिगों इत्यादि की भूमि पर उनकी सहमति से खेती तथा ऐसी भूमि के लिए उचित व्यवस्था निर्धारित करेगी।

(ख) ऐसी व्यवस्था बनाना, जिससे कि प्रवासी लोगों की भूमि पर भूमिहीनों या जरूरतमंद लोगों के द्वारा खेती की जा सके और ऐसी खेती के लिए शर्तें बनाना।

(ग) गाँव के गृह विहीनों को गृह स्थल या गाँव के अंतर्गत गृह विहीनों को गृह स्थल उपलब्ध कराने हेतु गृह स्थल का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। गृह विहीनों की सूची ग्राम सभा की अनुशंसा के आलोक में बनायी जाएगी।

(घ) भूमि की गिरवी से संबन्धित सभी मामलों को ग्रामवासियों द्वारा ग्राम सभा के संज्ञान में लाया जाएगा।

(ङ) उपरोक्त सी.एन.टी. 1908 की धारा - 71A, 72 तथा 73 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत/एस.पी.टी. एक्ट /विल्किन्सन रूल/ अन्य प्रथागत कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी ।

(च) उपर्युक्त प्रावधान केवल अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के भूमि के सम्बन्ध में लागू होंगे।

**ii. हस्तांतरित भूमि की वापसी:**

इस सम्बन्ध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 71 (क) में पूर्व से प्रावधान है । 71 (क) विधिविरूद्ध अंतरित भूमि पर अनुसूचित जनजातियों के सदस्य को कब्जा प्रत्यावर्तित करने की शक्ति -:

यदि किसी समय उपायुक्त को पता चले कि कि किसी रैयत (मुण्डारी खूँटकट्टीदार या भुईहरी), जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, की भूमि का अंतरण धारा-46 (या धारा-48 या धारा-240) या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध का उल्लंघन करके या वादों में कपट एवं दुरभिसंधि द्वारा अभिप्राप्त डिक्रियों सहित किसी कपटपूर्ण ढंग से किया गया है तो वह अन्तरिती को, जो बेदखल किया जाने वाला है, सफाई देने का उपयुक्त अवसर प्रदान करने के बाद, और उस विषय में आवश्यक जाँच कर लेने के बाद, अन्तरिती को प्रतिकर का भुगतान किए बिना ऐसी भूमि से बेदखल कर सकेगा और वह भूमि अन्तरक या उसके वारिश को प्रत्यावर्तित कर सकेगा या अंतरक या उसके

वारिश के उपलब्ध न होने या ऐसे प्रत्यावर्तन के लिए सहमत होने को रजामंद न होने की दशा में, उस भूमि को अनुसूचित जनजाति के किसी दूसरे रैयत के साथ, परित्यक्त जोत के निबटाव की ग्राम रूढ़ि के अनुसार पुनर्बन्दोबस्त कर सकेगा।

संथाल परगना टेनेंसी एक्ट (SPT Act) 1949 की धारा 42 के अनुसार उपायुक्त किसी भी समय या तो अपनी इच्छा से या उसके यहाँ आवेदन देने पर उस व्यक्ति की बेदखली का आदेश दे सकता है जिसने इस अधिनियम के प्रावधानों का, किसी विधि का, या संताल परगना में विधि का या संताल परगना में विधि का बल रखने वाली कोई बात का उल्लंघन करके कृषि-भूमि को अतिक्रमित किया हो, उसे सुधार, अर्जित या कब्जा में कर लिया हो।

(क) यथा, भूमि वापसी से संबंधित कार्रवाई अन्य विल्किन्सन नियम एवं अन्य प्रथागत कानूनों के अनुसार किया जाएगा । प्रत्येक वित्तीय वर्ष के शुरुआत के 15 दिन के अन्दर राजस्व कर्मचारी द्वारा रजिस्टर 2 की प्रतिलिपि ग्राम सभा को उपलब्ध करायी जायेगी।

(ख) **हस्तान्तरणों का नियमन:** छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 49 में प्रदत्त उपायुक्त को प्रदत्त शक्तियों को छोड़कर अन्य मामलों में ग्राम सभा से सहमति प्राप्त की जाएगी।

## अध्याय- 16
## बाजारों का प्रबंधन

**34. बाजारों का प्रबंधन :**

**i.** ग्राम सभा अपने क्षेत्र में अवस्थित बाजारों, मेला, पारम्परिक जतरा (पशु मेला सहित) का नियंत्रण और प्रबंधन करने में सक्षम होगी ।

**ii. ग्राम सभा का यह कर्तव्य होगा कि -**

(क) बाजार में दुकानदारों एवं उपभोक्ताओं के लिए जल, शेड एवं अन्य भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

(ख) बाजार में जन साधारण के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों के प्रवेश एवं विक्रय पर रोक लगाएगी।

(ग) यह सुनिश्चित करेगी कि संव्यवहार में भार एवं माप वास्तविक हैं।

(घ) प्रभारित किये जा रहे मूल्यों की जानकारी एकत्र और साझा करेगी।

(ङ) मूल्यों से सम्बंधित धोखा धड़ी या गलत जानकारी सहित समस्त व्यवहार प्रतिबंधित करेगी।

(च) बाजार में या इसके आस पास के क्षेत्र में जुआ एवं सट्टेबाजी (चाहे वह जिस प्रकृति का हो) इत्यादि को प्रतिबंधित करेगी।

(छ) बाज़ार में दुकानदारों पर कर अधिरोपित करने की शक्ति होगी परन्तु बाज़ार में लघु विक्रेताओं पर कोई कर अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(ज) ग्राम सभा यह सुनिश्चित करने के लिए सक्षम होगी कि कौन लघु विक्रेता के रूप में अहर्ता रखता है।

(झ) एक साझा बाजार साझा करने वाले गाँवों द्वारा मिलकर एक ग्राम सभा के माध्यम से बाज़ार के प्रबंधन के लिए एक बाज़ार समिति का गठन कर सकेगी। यह समिति गाँव के बाज़ार समिति की व्यवस्था के लिए जवाबदेह होगी।

(ञ) बाजार एवं मेला, पारम्परिक जतरा में किसी प्रकार के विवाद का निपटारा हेतु ग्राम सभा स्तर पर विधिसम्मत कार्रवाई किया जायेगा।

## अध्याय- 17
## उधार पर नियंत्रण

**35. उधार पर नियंत्रण:**

i. ग्राम सभा झारखण्ड निजी साहूकारी (निषेध) अधिनियम 2016 के नियम तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा - 3 (iii-क), धारा - 46 के अनुसार कार्रवाई करने में सक्षम होगी।

ii. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एवं सेबी मे पंजीकृत संस्थायें ही अनुसूचित क्षेत्र में कर्ज लेन देन हेतु अधिकृत होंगे।

iii. ऐसी संस्थाओं को ग्राम सभा भवन या अन्य सार्वजनिक स्थान पर ब्याज की दर के संबंध में एक सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य होगा।

iv. इन संस्थाओं को ग्राम सभा क्षेत्र में दिये गए ऋण, ब्याज की दर तथा ऋण की शर्तों के संबंध में प्रतिवर्ष ग्राम सभा में लिखित जानकारी देना आवश्यक है।

v. पंजीकृत संस्थाओं के अतिरिक्त किसी साहूकार की जानकारी प्राप्त होने पर ग्राम सभा ऐसे साहूकारों के विरूद्ध FIR दर्ज कर सकेगी।

vi. ऋण चुकाने में असफल होने की स्थिति में व्यक्ति पर वसूली हेतु भूमि की नीलामी, कुर्की अथवा कानूनी कार्रवाई के प्रकरणों में ग्राम सभा कर्जदार के न्यूनतम आवश्यकताओं एवं मानवाधिकार को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगी।

**36. कठिनाईयों का दूर किया जाना :**

झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2001, पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 के धाराओं के अंतर्गत इस नियमावली के नियमों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्त्पन्न हो तो पंचायती राज विभाग, अवसर के अपेक्षा अनुसार, शासकीय गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसा कुछ भी कर सकेगी, जो कठिनाई को दूर करने में उसे आवश्यक प्रतीत होता हो।

**37. अधिनियम / नियमों में संशोधन :**

झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2001, पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 के धाराओं के अनुरूप इस नियम के प्रकाशन होने के एक वर्ष के भीतर नियम के विभिन्न कंडिकाओ के अनुसार शासन के विभिन्न विभाग आवश्यकता अनुसार राज्य अधिनियम / नियमों / आदेशों / निर्देशों / परिपत्रों में संशोधन करेंगे तथा यदि सरकार के अधिनियम/नियमों मे संशोधन की आवश्यकता हो तो इस हेतु पहल किए जाएँगे।

**38. निरसन :** इन नियमों के प्रवृत्त होने पर इस नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व झारखण्ड राज्य के अधिसूचित क्षेत्र में प्रवृत्त इन नियमों के तत्स्थानी समस्त नियम निरस्त हो जायेंगे। परन्तु इस प्रकार निरसित किन्हीं भी नियमों के अधीन की गई किसी बात या किसी कार्यवाही के बारे में जब तक ऐसी कोई बात या कार्यवाही इन नियमों की किन्हीं उपबंधों की असंगत न हो या समझा जायेगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधी के अधीन की गई है।

ज्ञापांक:– 01स्था0(वि0)–166/2013 (खण्ड–1) 40 /पं0, राँची, दिनांक :– 02.1.26

प्रतिलिपि:– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं ई–गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सचिव,
पंचायती राज विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकः– 01स्था0(वि0)–166/2013 (खण्ड–1) 40 /पं0, राँची, दिनांक :– 02.1.26

प्रतिलिपिः– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड/मुख्य सचिव, झारखण्ड/महाधिवक्ता, झारखण्ड/सचिव, झारखण्ड विधान सभा/निबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक, पंचायत राज/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी प्राचार्य, पंचायत प्रशिक्षण संस्थान/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी/सहायक सचिव (पंचायत समिति) को सूचनार्थ प्रेषित।

2/1/26

सचिव,
पंचायती राज विभाग,
झारखण्ड, राँची।

प्रपत्र – 1

(नियम 4 देखिये)

## ग्राम सभा विनिर्दिष्ट करने हेतु आवेदन पत्र

## सारणी

1. प्रस्तावित ग्राम सभा की विवरणी -

| प्रखण्ड का नाम | पंचायत का नाम | वर्तमान ग्राम का नाम | प्रस्तावित ग्राम एवं ग्राम सभा का नाम | जनसंख्या | नया ग्राम एवं ग्राम सभा बनाने का औचित्य | ग्राम की पारम्परिक क्षेत्राधिकार (नक़्शे के माध्यम से दिखाना) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | | | | | |

2. पारम्परिक रूप से चयनित / मनोनीत ग्राम सभा अध्यक्ष की विवरणी -
    1. नाम -
    2. पिता या पति का नाम -
    3. पता -
    4. फ़ोन नंबर -

ग्राम सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर

प्रपत्र – 2

(नियम 5 देखिये)

**अधिसूचना**

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रो पर विस्तार) झारखण्ड नियमावली, 2025 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी के कॉलम 2 में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर कॉलम 2 में वर्णित क्षेत्र के लिए अलग ग्राम एवं ग्राम सभा का गठन करते हैं, जो आगामी माह की प्रथम तारीख से अस्तित्व में आऐंगी :

**सारणी**

| प्रखण्ड का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | ग्राम एवं ग्राम सभा का नाम | राजस्व ग्राम | सम्मिलित ग्रामों के नाम | ग्राम की जनसंख्या | ग्राम की पारम्परिक क्षेत्राधिकार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | | | | | |

स्थान -

जारी करने की तारीख -

जिला दण्डाधिकारी / उपायुक्त

प्रपत्र – 3

(नियम 10 (i) देखिये)

**<u>ग्राम सभा की बैठक की सूचना</u>**

ग्राम सभा .......................................................................................... के सभी सदस्यों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम सभा की बैठक तारीख ........................ को निम्नलिखित ग्राम के स्थान ........................................................................... पर होगा।

ग्राम सभा के सभी सदस्य, जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज है, बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं।

बैठक बुलाने वाला प्राधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रपत्र-4

(नियम 17 देखिये)

## ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति पंजी

1. ग्राम पंचायत का नाम -

2. ग्राम सभा का नाम -

3. बैठक की तारीख -

4. बैठक का स्थान -

5. बैठक का समय -

| क्रमांक | बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम | सदस्यों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | | |
| 7. | | |

उपस्थित सदस्यों की कुल (शब्दों में)..........................................................................

स्थान –

तारीख –

ग्राम पंचायत सचिव के हस्ताक्षर
एवं मुहर

प्रपत्र – 5

(नियम 18 (i) देखिये)

## ग्राम सभा के कार्यवाही अभिलेख

1. ग्राम पंचायत का नाम
2. बैठक की तारीख
3. बैठक का स्थान
4. बैठक का समय
5. उपस्थित ग्राम सभा सदस्यों की संख्या

| क्रमांक | ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय | बैठक की कार्यवाही |
|---|---|---|
| | | |

स्थान –

जारी करने की तारीख –

ग्राम पंचायत सचिव के हस्ताक्षर

एवं मुहर

प्रपत्र – 6

(नियम - 7 (v) देखिए)

<u>शपथ / प्रतिज्ञा पत्र</u>

मैं श्री/श्रीमती............................................. ग्राम सभा............................. ग्राम पंचायत............................................/ प्रखण्ड ................................/ जिला..................................के ग्राम सभा के अध्यक्ष के रूप में ईश्वर की शपथ लेता / लेती हूँ / निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि विधि द्वारा संस्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्चा विश्वास एवं निष्ठा रखूंगा/रखूँगी, झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार ग्राम सभा की परम्पराओं एवं रुढ़ियों को अक्षुण्ण रखते हुए सभी व्यक्तियों के लिए जो न्यायसंगत होगा वही करूँगा / करुँगी ।

स्थान -                                                                                शपथ ग्रहण / प्रतिज्ञाकर्ता का हस्ताक्षर

तारीख -

विहित पदाधिकारी / कर्मचारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

## परिशिष्ट 1

(भारतीय न्याय संहिता, 2023 की सदर्भित धाराएँ)

| क्र० स० | BNS प्रतिस्थापित धारा | अपराध | संज्ञेय/असंज्ञेय अपराध | अधिकतम दण्ड |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 290 | किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के संबद्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण | असंज्ञेय | जुर्माना ₹2000/- तक अथवा दोनों |
| 2 | 292 | अन्यथा अनुपबंधित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दंड | असंज्ञेय | जुर्माना ₹1000/- तक |
| 3 | 302 | धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि | असंज्ञेय | जुर्माना ₹1000/- तक |
| 4 | 115 (2) | स्वेच्छ्या उपाहित कारित करने के लिए दंड | असंज्ञेय | जुर्माना ₹1000/- तक |
| 5 | 122 (1) | प्रकोपन पर स्वेच्छ्या उपाहित करना | असंज्ञेय | जुर्माना ₹2000/- तक |
| 6 | 131 | गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या अपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड | असंज्ञेय | जुर्माना ₹1000/- तक |
| 7 | 303 (2) | चोरी के लिए दंड (चोरी की वस्तु का दाम ₹5000/- से कम हो) | असंज्ञेय | चोरी की वस्तु का दाम ₹2000/- से कम हो एवं प्रथम बार दोषी होने पर वस्तु का दाम वापस देने पर अथवा वस्तु वापस करने पर सामुदायिक सेवा। |
| 8 | 314 | संपत्ति का बेईमानी से दुरूपयोग | असंज्ञेय | जुर्माना |
| 9 | 324(2) | रिष्टि के लिए दण्ड | असंज्ञेय | जुर्माना |
| 10 | 324(3) | रिष्टि जिसने नुकसान होता है | असंज्ञेय | जुर्माना |
| 11 | 324(2) | मानहानि के लिए दंड | असंज्ञेय | जुर्माना अथवा सामुदायिक सेवा। |
| 12 | 352 | लोकशांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान | असंज्ञेय | जुर्माना अथवा सामुदायिक सेवा |
| 13 | 351 | आपराधिक अनित्रास के लिए दंड | असंज्ञेय | जुर्माना अथवा सामुदायिक सेवा |
| 14 | 355 | मत्त व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार | असंज्ञेय | ₹1,000/- तक जुर्माना अथवा सामुदायिक सेवा |